संख्या- 316 /2025/ 3000 /चार-2025-1850173

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 05 अक्टूबर, 2025**

विषय: दिनॉक 07 अक्टूबर, 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त देव मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' का अखण्ड रामायण का पाठ कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-315/2025/2999/4-2025-1850173, दिनॉक 04.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनॉक 07 अक्टूबर, 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1- प्रदेश के मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' का अखण्ड रामायण पाठ ही कराया जाये, जिसमें संस्कृति विभाग के पंजीकृत कलाकारों को ही कार्य दिया जाय। समस्त देव मंदिरों में कराये जाने वाले कार्यक्रमों के फोटो एवं वीडियो जिओ टैग के साथ संस्कृति निदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध महर्षि वाल्मीकि जयंती के लिंक पर अपलोड किया जाय।

2- महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' का अखण्ड रामायण पाठ कराये जाने वाले देव मंदिरों में श्रीराम दरबार की झांकी सुसज्जित किया जाय।

3- महर्षि वाल्मीकि मंदिर लालापुर चित्रकूट, स्वामी तुलसी दास आश्रम, राजापुर चित्रकूट, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर, कानपुर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती, अयोध्या एवं प्रयागराज के मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश के देव मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' का अखण्ड रामायण पाठ सुनिश्चित किया जाय।

4- शासनादेश संख्या-315/2025/2999/4-2025-1850173, दिनॉक 04.10.2025 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(12) निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनुसचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।